राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः ई–20 / म0स्वा0कार्य0 / (आई–18) / 2018 / दिनांकः–

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक अराज / सामान्य / 2018 / 642 दिनांक 12.07.2018 (क्रम संख्या 937 पर अंकित) द्वारा इन्द्रा पी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का स्थानान्तरण / पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से उप स्वास्थ्य केन्द्र, खैराबाद, कोटा से उप स्वास्थ्य केन्द्र, सामरी, चित्तौडगढ में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पद पर किया गया, जिसके विरूद्ध कार्मिका ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 15479 / 2018 दायर की। माननीय न्यायालय ने दिनांक 25.07.2018 को स्थगन आदेश पारित किया है, जिसका मुख्यांश निम्न प्रकार हैः–

In view of the above, petitioner is allowed to address a comprehensive representation within two weeks, detailing out her grievances to the State-respondents so also including a copy of judgment in the case of Dr. (Smt.) Pushpa Mehta (supra).

In case, a representation is so addressed within the aforesaid period, the State-respondents are directed to consider and decide the same by a reasoned and speaking order as expeditiously as possible in accordance with law. However, in no case later than four weeks from the date of receipt of the representation along with a certified copy of this order.

Until determination of the representation of the petitioner; the effect and operation of impugned order dated 18th June, 2018, qua the petitioner, shall remain stayed and shall be subject to determination of her representation.

याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 1430 / 1999 द्वारा डॉ0 श्रीमती पुष्पा मेहता बनाम अपील अधिकरण की प्रति संलग्न की है, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि किसी कार्मिक की सेवानिवृति में 01 या 02 वर्ष शेष रहने पर कार्मिक को उसके पदस्थापित स्थान से नहीं हटाना चाहिए, जिससे वह सेवानिवृति पश्चात जीवन की सही / उचित योजना बना सकें। याचिकाकर्ता श्रीमती इन्द्रा पी. की अधिवार्षिकी सेवानिवृति लगभग 18 माह पश्चात, जून 2020 में है।

मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 1430 / 1999 में पारित निर्णय दिनांक 16.12.1999 एवं याचिका संख्या 15479 / 2018 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2018 का अवलोकन एवं मनन किया गया। निदेशालय के आदेश क्रमांक अराज / सामान्य / 2018 / 642 दिनांक 12.07.2018 के क्रम संख्या 937 पर वर्णित इन्द्रा पी., महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को उप स्वास्थ्य केन्द्र, खैराबाद, कोटा से उप स्वास्थ्य केन्द्र, सामरी, चित्तौडगढ में किये गये स्थानान्तरण / पदस्थापन को कर्मचारी / याचि के अधिवार्षिकी सेवानिवृति में 18 माह शेष रहने के मध्यनजर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निरस्त किया जाता है। फलस्वरूप अभ्यावेदन को निस्तारित करते हुए कर्मचारी इन्द्रा पी., महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र, खैराबाद, कोटा में यथावत पदस्थापित रहेगी।

sd/-
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–20 / म0स्वा0कार्य0 / (आई–18) / 2018 / 4208 दिनांकः– 27/12/18

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–कोटा / उदयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा / चित्तौडगढ़।
4. इन्द्रा पी., महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

Desktop\ANM\ANM order 2018